रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ सोमवार, 10 अप्रैल, 1989

चैत्र 20, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि अनुभाग—5

संख्या 1512/12-5-89-600(287)-81

लखनऊ, 10 अप्रैल, 1989

अधिसूचना

प0 आ0——407

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 25-क और 26-भ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित विनियमावली बनाती है :—

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 1989

1. यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 1989 कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2—यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

3. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, के विनियम 2 में शब्द "और वर्ग" "ग" के पद के स्थान पर कामा और शब्द, "वर्ग ग के पद और वर्ग घ के पद" रखये दि जायेंगे। विनियम 2 का संशोधन

विनियम 3 का संशोधन

4--उक्त विनियमावली के विनियम 3 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य,--

(1) किसी मण्डी समिति के सचिव के पद के सम्बन्ध में निदेशक, या

(2) इस खण्ड में विनिर्दिष्ट पद धारण करने वाले कर्मचारियों से भिन्न अधिकारियों या पदधारियों के सम्बन्ध में सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन), या

(3) समूह "घ" के पद धारण करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में मण्डी समिति के सचिव,

से है।"

विनियम 4 का संशोधन

5--उक्त विनियमावली के विनियम 4 में, मद 4 के पश्चात निम्नलिखित मदें दी जायेंगी, अर्थात्--

"5--चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी--

(क) मण्डी सहायक (कामदार)

(ख) चपरासी

(ग) चौकीदार

(घ) मण्डी अभिरक्षक

(ङ) सुरक्षा गार्ड

(च) वाटर मैन

(छ) माली

(ज) पम्प आपरेटर/विद्युतकार

(झ) लाइन मैन

(ञ) विद्युतकार

(ट) ड्राइवर

(ठ) भिश्ती

(ड) सफाईकार"

विनियम 5 का संशोधन

6--उक्त विनियमावली के विनियम 5 में, शब्द "वर्ग ख और ग" के स्थान पर शब्द "वर्ग ख, वर्ग ग और वर्ग घ" रख दिये जायेंगे।

विनियम 7 का संशोधन

7--उक्त विनियमावली के विनियम 7 में, सारणी में, प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"4 (एक) मण्डी सहायक (कामदार)	हाई स्कूल उत्तीर्ण	मण्डी समिति या किसी कृषि मण्डी संगठन में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव
(दो) चपरासी	कक्षा 5 उत्तीर्ण	
(तीन) चौकीदार	तदेव	
(चार) मण्डी अभिरक्षक	तदेव	
(पांच) सुरक्षा गार्ड	हाई स्कूल उत्तीर्ण	
(छः) वाटर मैन	कक्षा 5 उत्तीर्ण	
(सात) माली	तदेव	
(आठ) पम्प आपरेटर/विद्युतकार	हाई स्कूल उत्तीर्ण	
(नौ) लाइनमैन	तदेव	
(दस) विद्युतकार	तदेव	
(ग्यारह) ड्राइवर	तदेव	
(बारह) भिश्ती	कक्षा 5 उत्तीर्ण	
(तेरह) सफाईकार	तदेव	

8--उक्त विनियमावली के विनियम 12 में, उप विनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपविनियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्-- (विनियम 12 का संशोधन)

"(4) वर्ग "घ" के पदों पर भर्ती के लिए चयन समिति में सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) जो चयन समिति के अध्यक्ष होंगे, और सम्बद्ध मण्डी समिति के अध्यक्ष और सचिव उसके सदस्य होंगे।"

9--उक्त विनियमावली के विनियम 13 में, सारणी में, प्रविष्टि 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायगी, अर्थात्-- (विनियम 13 का संशोधन)

"10--मण्डी सहायक (कामदार,) चपरासी, चौकीदार, मण्डी अभिरक्षक, सुरक्षा गार्ड, वाटरमैन, माली, पम्प आपरेटर/विद्युतकार, लाइनमैन, विद्युतकार, ड्राइवर, भिश्ती, सफाईकार।"	सीधी भर्ती	100

10--उक्त विनियमावली के विनियम 16 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रख दिया जायगा, अर्थात्-- (विनियम 16 का संशोधन)

"(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। समिति विनियम 11 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा और/या साक्षात्कार, जैसा वह विनिश्चित करे, के लिये पात्र अभ्यर्थियों को बुलायेगा। लिपिक एवं टंकक, रोकड़िया एवं लिपिक, अमीन/नीलामकर्ता और समूह घ के पदों के लिए चयन के मामले में, समय-समय पर यथा संशोधित यथास्थिति, राज्य सरकार की अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985 या समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 में निर्धारित प्रक्रिया सामान्यतया अपनाई जायगी। समिति अभ्यर्थियों की, योग्यता-क्रम, जैसा परीक्षा और/या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो समिति उनके नाम उनकी आयु के आधार पर रखेगी, अधिक आयु वाले व्यक्ति को ऊपर रखा जायेगा।"

11--उक्त विनियमावली के विनियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रख दिया जायगा, अर्थात्-- (विनियम 24 का प्रतिस्थापन)

"24 (1) उपविनियम (2) में उल्लिखित कर्मचारियों से भिन्न केन्द्रीयित सेवा के किसी सदस्य का स्थानान्तरण सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) के आदेश से एक मण्डी समिति से दूसरी मण्डी समिति को और निदेशक या अपर निदेशक के आदेश से एक सम्भाग से दूसरे सम्भाग को किया जा सकता है। केन्द्रीयित सेवा के सदस्य के स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का वहन उस मण्डी समिति द्वारा किया जायगा जिसमें उसका स्थानान्तरण किया जाय। (सेवा के सदस्यों का स्थानान्तरण)

(2) सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) विशेष परिस्थितियों में किसी मण्डी सहायक (कामदार) को सम्भाग के भीतर किसी एक मण्डी समिति से दूसरी मण्डी समिति को या मण्डी सहायक (कामदार) भिन्न समूह का पद धारण करने वाले सेवा के किसी सदस्य को जिले के भीतर एक मण्डी समिति से दूसरी मण्डी समिति को स्थानान्तरित कर सकता है।

(3) स्थानान्तरण होने पर सेवा का सदस्य तदनुरूप वेतनमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुमन्य यात्रा भत्ता का हकदार होगा।"

आर0 के भार्गव,
अध्यक्ष,
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार।

विजेन्द्र पाल,
मण्डी निदेशक,
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1512/XII-5 89-600(287)-81, dated April 10, 1989:

No. 1512/XII-5—89-600(287)-81

Dated Lucknow, April 10, 1989

IN exercise of the powers under section 25-A and 26-X of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U. P. Act no. XXV of 1964) the State Agriculture Produce Markets Board, with the previous approval of the State Government, makes the following regulations :—

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEES (CENTRALISED) SERVICES (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 1989

Short title and commencement

1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Agricultural Produce Market Committees (Centralised) Service (First Amendment) Regulations, 1989.

2. They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of Regulation-2

3. In regulation 2 of Uttar Pradesh Agricultural Produce Market Committees (Centralised) Services Regulations, 1984 hereinafter referred to as the said regulations *for* the words "and class 3 posts" the comma and words, "Class C posts and Class D posts" shall be *substituted*.

Amendment of Regulation-3

4. In regulation 3 of the said regulations, *for* clause (*a*) the following clause shall be *substituted*, namely :—

(*a*) "appointing authority" means—

(1) the Director in relation to the post of Secretary of a Market Committee; or

(2) the Regional Deputy Director (Administration) in relation to the officers or the officials other than the employees holding posts specified in this clause; or

(3) the Secretary of the Market Committee in relation to the employees holdinng Group 'D' posts.

Amendment of Regulation-4

5. In regulation 4 of the said regulations, after item 4 the following item shall be *inserted*, namely:

"5. Fourth Class Staff :—

(*a*) Mandi Sahayak 'Kamdar'

(*b*) Peon,

(*c*) Chaukidar,

(*d*) Mandi Abhirakshak,

(*e*) Security Guard,

(*f*) Water Man

(*g*) Mali

(*h*) Pump Operator/Electrician

(*i*) Lineman

(*j*) Electrician

(*k*) Driver

(*l*) Bhisti

(*m*) Sweeper".

Amendment of Regulation-5

6. In regulation 5 of the said regulations, *for* the words "Class B and C" the words "Class B, Class C and Class D" shall be *substituted*.

7. In regulation 7 of the said regulations, in the table, *after* entry 3, the following entry column-wise shall be *inserted*, namely :— *Amendment of Regulation-7*

"4. (i) Mandi Sahayak (Kamdar)	High School pass	One year experience of working in a Market Committee or in an agricultural marketing organization.
(ii) Peon	Class five pass	
(iii) Chaukidar	Do.	
(iv) Mandi Abhirakshak	Do.	
(v) Security Guard ..	High School Pass	
(vi) Water Man	Class five pass	
(vii) Mali ..	Do.	
(viii) Pump Operator/Electrician	High School Pass	
(ix) Line Man ..	Do.	
(x) Electrician ..	Do.	
(xi) Driver	Do.	
(xii) Bhisti ..	Class five pass	
(xiii) Sweeper ..	Do.	

8. In regulation 12 of the said regulations *after* sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be *inserted* namely :— *Amendment of Regulation-12*

"(4) For recruitment to Class D posts the Selection Committee shall consists of the Regional Deputy Director (Administration) who will be the Chairman of the Selection Committee and the Chairman and Secretary of the concerned Market Committee who shall be the members thereof."

9. In regulation 13 of the said regulations in the table after entry 9 the following entry shall column-wise be *inserted* namely :— *Amendment of Regulation-13*

"10. Mandi Sahayak (Kamdar) Peon Chaukidar, Mandi Abhirikshak, Security Guard, Water Man, Mali Pump Operator/Electrician, Line Man, Electrician, Driver, Bhisti, Sweeper."	Direct Recruitment.	100

10. In regulation 16 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be *substituted*, namely — *Amendment of Regulation-16*

"(2) The Selection Committee shall scrutinise the applications and prepare a list of eligible candidates. The Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with regulation 11, call the eligible candidates for test and/or interview as it may decide. In the case of selection for the posts of clerk-*cum*-typist, cashier-*cum*-clerk, aminlauctioner and group D posts the procedure laid down in the State Government's Subordinate Office Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1985 or the Group D Employees Service Rules, 1985 as the case may be, as amended from time to time shall generally be adopted. The Committee shall prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained in the test and/or interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Committee shall arrange their names on the basis of their age, the older in age being placed higher."

Substitution of Regulation-24

11. For regulation 24 of the said regulations the following regulation shall be *substituted*, namely :—

"24. (1) A member of centralised service (other than the employees mentioned in sub-regulation (D) may be transferred from one Market Committee to another Market Committee by the order of the Regional Deputy Director (Administration) and from one region to another region by the order of the Director or the Additional Director,

Transfer of Members of the Service

The transfer travelling allowances of member of the centralised service shall be borne by the Market Committee to which he is transferred.

(2) The Regional Deputy Director (Administration) may in special circumstances transfer any Mandi Sahayak (Kamdar) from one Market Committee to another Market Committee, within the region or any member of the service holding Group D post other than Mandi Sahayak (Kamdar) from one Market Committee to another Market Committee with in the district

(3) On transfer, the member of the service shall be entitled to travelling allowances as admissible to the State Government employees in the corresponding scale of pay.

R. K. BHARGAVA,
Chairman,
Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad, Uttar Pradesh/ Krishi Utpadan Ayukt, U. P. Shasan.

VIJENDRA PAUL,
Mandi Nideshak,
Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad, Uttar Pradesh.

By order,
B. P. MISRA,
Sanyukt Sachiv,
Krishi Vibhag.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 75 राजपत्र (हि०)—(215)—1989—1830+50 (मेक०) ।